बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार तिथि, १२ अप्रील १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार तिथि १२ अप्रील १९६० को अपराह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

PROVINCIALISATION OF ROAD.

190. Shri SHAKOOR AHMAD : Will the P. W. D. Minister be pleased to state—

(1) whether there is a District Board road running from Harlakhi P.-S. to Khajauli P.-S. *via* Narar Kothi in Darbhanga district;

(2) whether it is an important road and its provincialisation will benefit the headquarters of Harlakhi Police-Station, Umgaon N. E. S. Block, Basopathi, N. E. S. Block, Khajauli Anchal and Khajauli Police-Station besides connecting these places with the main Jaynagar-Madhubani and Jaynagar-Darbhanga roads ;

(3) if the answers to the above clauses be in the affirmative, do Government propose to provincialise these roads ; if so, by what time, if not, why ?

*श्री सहदेव महतो—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) सड़कों का प्रांतीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जिस पर अभी सरकार का निर्णय नहीं हुआ है। यह कहना अभी संभव नहीं है कि यह सड़क सुधार के लिये ली जायगी या नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ के सम्बन्ध में।

श्री सहदेव महतो—पिछले दिन जब यह प्रश्न आया था मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि सेक्रेटेरियट इंस्ट्रक्शन के रूल्स के अनुसार यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता और आपने यह कहा था कि आप अपना निर्णय इसपर पीछे देंगे। मैंने उस रूल से कुछ कोटेशन भी दिया था।

श्री रामानन्द तिवारी—मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। जिन प्रश्नों को आपने ऐडमीट कर लिया.....

श्री शकूर अहमद—और सदस्य ने सभा में प्रश्न पूछ भी दिया।

श्री रामानन्द तिवारी—और ऐडमीट करने के पहले आप सभी पहलुओं से उसे देख लेते हैं। इसलिये मेरे दृष्टिकोण में यह उचित नहीं है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐडमीट किये गये प्रश्नों के खिलाफ यहां सभा में इस समय आबजेक्शन किया जाय।

श्री सहदेव महतो—मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि रूल के अनुसार इस प्रश्न को नहीं आना चाहिये।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह जिस समय समझें कि कोई प्रश्न नियमानुसार नहीं है तो उसे नामंजूर कर सकते हैं और ऐसी परिपाटी भी रही है इसलिये यदि कोई माननीय सदस्य उज्र करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, अध्यक्ष चाहे तो मानें या न मानें। माननीय उप-मंत्री फिर से रूल कोप्पढ़ें ताकि यदि संभव हो तो मैं अभी अपना फैसला दे दूं।

Shri SAHDEO MAHTO : I am reading from the booklet "Instructions for dealing with business relating to the Legislature", which is a Supplement to the Rules in Chapter IX of the Secretariat Instructions :—

"The purpose of a question is to obtain information or press for action, and it should not be in effect a short speech. The facts on which a question is based may be set out briefly, provided the member asking it makes himself responsible for their accuracy, but extract from newspapers or books, quotations from speeches, etc., are not admissible."

Examples of inadmissible questions—Besides these general rules the following types of questions may be enumerated as being out of order, viz.:—

(15) Asking whether statements in the Press, or of private individuals, or unofficial bodies are accurate.

यह है उस किताब के पेज ९ पर १५ वां आइटम।

श्री रामानन्द तिवारी—मेरा रेफरेंस है एसेम्बली रूल्स का पेज २६ में रूल ८४ का क्लौज ३ और फिर पेज २७ में उसी रूल के क्लौज १०।

अध्यक्ष—ठीक है, तो हम दोनों पर विचार करके फैसला देंगे। अभी यह प्रश्न स्थगित रहेगा। लेकिन मंत्री महोदय इसपर तैयार रहेंगे।

श्री सहदेव महतो—हम तो अभी भी तैयार हैं। जैसा आप आदेश देंगे करेंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—अब इसमें क्या देखना रह गया, अध्यक्ष महोदय? १९५२ से तो हम देख रहे हैं कि आपने इसी तरह ऐडमिट किया है। इस क्वेश्चन में नयी कौन सी बात आ गयी कि इसको पोस्पौन कर रहे हैं? १७ मार्च, २४ मार्च और ४ अप्रैल से पोस्पौन होता आ रहा है।

अध्यक्ष—हमने कहा था कि इसपर विचार करेंगे लेकिन हमने विचार नहीं किया इसलिये अध्यक्ष दोषी है। आडिनरोली यह २० तारीख को आवेगा और उसी दिन यह पहला क्वेश्चन होगा।

श्री रामानन्द तिवारी—दोषी न आप हैं, न हम हैं और न मंत्री जो हैं। दोष परिस्थिति का है।

श्री शकूर अहमद—जब वह कहते हैं कि वह तैयार हैं तो उनको जवाब देने दिया जाय।

अध्यक्ष—इसका मतलब है कि और क्वेश्चन को छोड़कर हम इसी पर विचार करने लग जायं। अभी हम फैसला देने को तैयार नही हैं। कहिये, तो कल के लिये रख देते हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—हां, रख दीजिये।

Speaker : This will be the first starred question tomorrow.

सड़क की मरम्मत।

११२१ श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिलान्तर्गत मैरवा-दरौला सड़क से एक लोकल बोर्ड की सड़क दोन ग्राम से विश्वनिया होते हुए परशुरामपुर घाट को गयी है;